संख्या:213/2022/765/35-4-2022/001-35-4099/32/2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 21 जुलाई, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों की रू. 4294.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 4294.00 लाख (रुपये बयालिस करोड़ चौरानब्बे लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये गोरखपुर विकास प्राधिकरण कार्यदायी संस्था होगी:-

(रू. लाख में)

	कार्य	लम्बाई (मी0में)	आंकलित लागत	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1.	झरना टोला के ऊँचवा क्षेत्र में रेलवे जमीन के बार्डर से विधायक निधि से बनी दयानन्द के घर तक बने सी0सी0 रोड एवं नाली तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	900.00	153.54	153.54
2.	पादरी बाजार में बैंक कालोनी समस्त सड़कों पर सी0सी0 रोड एवं नाली के निर्माण कार्य।	815.00	139.16	139.16
3.	शिवपुर सहबाजगंज में हनुमन्त नगर मोड़ से हनुमन्त नगर कालोनी के अन्त तक तथा मातपुरवा गॉव जाने वाली सड़क पर गजेन्द्र श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली के निर्माण का कार्य।	870.00	145.66	145.66
4.	शिवपुरम सहबाजगंज में इन्द्रप्रस्थ कालोनी में डा0ए0के0 उपाध्याय के मकान से अशोक कुमार सक्सेना के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली के निर्माण का कार्य।	160.00	33.77	33.77
5.	पादरी बाजार पुलिस चौकी के पीछे मोहनापुर रोड एवं नाली से दाहिने ओर आदित्य ज्वेलर्स, हकीम नम्बर एक के दशरथ के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली के निर्माण का कार्य।	700.00	121.52	121.52
6.	वार्ड संख्या-30 महेवा में जवाहर के मकान से नरसिंह प्रसाद के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	350.00	55.81	55.81
7.	वार्ड संख्या-65 महुई सुघरपुर के राम कृष्ण कालोनी में मिठाई लाल की बाउन्ड्रीवाल से सुबाष मणि एवं अल्का राय का मकान होते हुए महेन्द्र सिंह के मकान तक सी0सी0रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	550.00	107.05	107.05
8.	आजाद चौक बड़गो से रानीबाग में त्रिपाठी क्लासेज से पप्पू शाही एवं जी0पी0एस0 के उत्तरी गेट तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	250.00	46.96	46.96
9.	वार्ड नं0-3 प्रज्ञा पुरम कालोनी लेन नं0-5 में सिंघड़िया में श्री के0बी0 श्रीवास्तव जी के मकान से श्री विनय कुमार उपाध्याय के मकान होते हुए श्री शिवसहाय जी के मकान तक सड़क व नालियों	230.00	69.89	69.89

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कार्य	लम्बाई (मी0में)	आंकलित लागत	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
	का निर्माण कार्य।			
10.	वार्ड संख्या-65 शक्ति नगर पश्चिमी में मनोज तिवारी जी के मकान से इन्द्रेश राय जी के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	253.00	29.86	29.86
11.	वार्ड नं0-70 नकहा नं0-1 में सी0सी0सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	371.00	57.89	57.89
12.	बशारतपुर में गंगा नगर मुहल्ले के विभिन्न मार्गो को आर0सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य एवं आंशिक रूप से आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	1193.00	190.92	190.92
13.	प्रगति विहार कालोनी में लिटिल फ्लावर स्कूल (प्राइमरी) से डा0 अनुप श्रीवास्तव के आवास होते हुए विमल मान्टेसरी गर्ल्स स्कूल तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	315.00	84.29	84.29
14.	बशारतपुर पूर्वी में मीरा सिंह के आवास से राजेश शुक्ला के आवास होते हुए डा0 वी0के0 श्रीवास्तव के आवास तक सड़क, नाली का निर्माण कार्य।	205.00	51.54	51.54
15.	वार्ड संख्या-9 बशारतपुर में आनन्द मशरूम से पी0के0 दास के घर होते हुए नन्द लाल शर्मा के घर से प्रमोद राम के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	388.00	55.94	55.94
16.	वार्ड संख्या-9 बशारतपुर में लाल जी मिश्र पेट्रोल पम्प से राजेन्द्र यादव व सोनू मिश्र से नन्दू मिश्र के घर होते हुए अनुपम चतुर्वेदी के घर तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	866.00	119.49	119.49
17.	चिलुआताल थाने के एप्रोच सड़क का निर्माण कार्य।	375.00	46.95	46.95
18.	बशारतपुर वार्ड संख्या-7 के हरिद्वारपुरम में अवशेष सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	930.00	64.62	64.62
19.	बशारतपुर में वार्ड संख्या-7 के हरिहरपुरम में अवशेष सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	305.00	65.71	65.71
20.	मुहल्ला राजीव नगर व अवशेष सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	768.00	55.15	55.15
21.	जुबली टाकीज रोड एवं नाली से लालजी विश्वकर्मा के आगे तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	230.00	51.32	51.32
22.	वार्ड नं0-45 के टोला बिलन्दपुर खत्ता में सरस्वती शिशु मन्दिर रोड एवं नाली से रामू सोनकर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली व नालियों का निर्माण कार्य।	595.00	88.96	88.96
23.	मुहल्ला रामजानकी नगर में डा0 लाल जी मिश्र की गली एवं जटाशंकर तिवारी की गली में सी0सी0 रोड एवं नाली का अवशेष निर्माण कार्य।	200.00	80.78	80.78
24.	वार्ड संख्या-65 (महुई सुघरपुर) के पोखरा टोला में ओम प्रकाश तिवारी जी के मकान से भगवती चौधरी जी के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	645.00	76.89	76.89
25.	मुहल्ला विवेकपुरम (महुई सुघरपुर) में श्री संतोष तिवारी के मकान से सुरेन्द्र सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	210.00	41.25	41.25
26.	फसरहिया गॉव में सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	140.00	22.64	22.64
27.	वार्ड संख्या-20 गिरधरगंज पिपलडाड़ा विजय किराना स्टोर से हुण्डई	800.00	157.57	157.57

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य	लम्बाई (मी0में)	आंकलित लागत	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
	वर्कशाप एवं श्याम पासवान के मकान से पंकज ज्वेलरी तक आर0सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।			
28.	राप्ती नगर तृतीय चरण में एम0एम0आई0जी0-16 से अंकुर अतिथि भवन, भगवती सिंह व सुनील श्रीवास्तव के मकान होते हुए दुबे जी के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	448.00	63.36	63.36
29.	वार्ड संख्या-16 मुहल्ला राजेन्द्र नगर पूर्वी में निकट ललितापुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत श्री कन्हैया सिंह के घर से श्री बृजेश मणि के घर होते हुए श्री प्रेम मास्टर के घर तक सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	90.00	19.14	19.14
30.	डाक्टर इन्क्लेव निकट शाहपुर थाना के समीप डा0 राधा जीना के आवास से समीप सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	680.00	142.47	142.47
31.	राप्ती नगर गणेशपुरम कालोनी में आर0सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	140.00	23.65	23.65
32.	वार्ड सं0-70 गायत्रीपुरम कालोनी जंगल नकहां नम्बर-1 में श्रीमती सुधा शर्मा के मकान से श्रीमती इसरावती देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	85.00	15.24	15.24
33.	करीम नगर रोड को रिलायन्स एकेडमी होते हुए राप्ती नगर विस्तार में पी0ए0सी0 बैरक तक एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य।	671.00	143.88	143.88
34.	जंगल तिकोनिया नं0-1 गोरखपुर पिपराईच मार्ग से मुर्गी फार्म रोड पर श्री भगवान दास के मकान से श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी एवं श्री राकेश कुमार के मकान होते हुए संगीता जी के मकान तक सड़क व नालियों का निर्माण कार्य।	137.00	34.71	34.71
35.	वार्ड नं0-9 विष्णुपुरम कलेसिया चर्च से जय प्रकाश मौर्य व कुन्दन वर्मा के घर से के0के0 मिश्रा व कन्हैया यादव के घर से गोरखनाथ सिंह के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	1111.00	196.02	196.02
36.	वार्ड नं0-9 खरैया पोखरा चौराहा मुन्नी देवी राज कुमार मिश्रा, आर0पी0 चतुर्वेदी व हीरू जान से जानवी बुटीक व हीरो एजेन्सी से मनोज श्रीवास्तव के घर तक विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	318.00	71.54	71.54
37.	वार्ड नं0-9 बशारतपुर चर्च रोड में रौशन इलैक्ट्रीक से बीना तिवारी, अमित बरनवास से रंजीत जोसुआ तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	450.00	85.72	85.72
38.	वार्ड नं0-9 एल्यूमिनियम फैक्ट्री रोड, शक्ति टिम्बर से सतीश सिंह के मकान होते हुए ओम प्रकाश निगम के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	300.00	75.41	75.41
39.	हरसेवकपुर-2 नरिया टोला हाता टोला में उत्तम बिल्डिंग मैटेरियल की गली से अनिल उपाध्याय के घर से होते हुए लहरी यादव के घर तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	618.00	150.08	150.08
40.	न्यू कजाकपुर न्यू कालोनी में दिवाकर मिश्रा, अर्जुन यादव, विनोद श्रीवास्तव एवं प्राथमिक विद्यालय आदि विभिन्न गलियों में सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	490.00	119.38	119.38
41.	राप्ती नगर चतुर्थ चरण करीम नगर चौराहे के पास श्रीकृष्णपुरम कालोनी में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	641.00	166.13	166.13
42.	मुहल्ला बशारतपुर गंगा नगर में विशेष वैभव मैरिज हाल से शिव मन्दिर को जाने वाली सी0सी0 रोड के उत्तर तरफ विभिन्न गलियों के सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	734.00	173.40	173.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य	लम्बाई (मी0में)	आंकलित लागत	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
43.	आदित्यपुरी में डा0 शैलेश ओझा के मकान से डा0 एस0पी0 पाण्डेय के आवास होते हुए आदित्यपुरी दुर्गा मंदिर तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	535.00	76.43	76.43
44.	रामजानकीनगर चौराहे से स्पोर्ट चौराहा जाने वाली सड़क पर हरिजन बस्ती में सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	594.00	84.23	84.23
45.	अमृतनगर फेज-2 में सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नालियों का निर्माण कार्य।	555.00	101.10	101.10
46.	लेक व्यू आवास योजना में सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नालियों का निर्माण कार्य।	1562.00	184.02	184.02
47.	रामगढ़रोड बाबा बासदेव जुनियर हाई स्कूल से श्रीमती कलिन्दी देवी पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य।	669.00	152.96	152.96
	योग-	**24442**	**4294.00**	**4294.00**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
10. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
12. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
13. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
16. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2023 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2023 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
18. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
19. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
20. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
21. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
22. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
23. प्रयोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
24. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
25. कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह 02 माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 42,94,00,000 (रुपये बयालिस करोड़ चौरानब्बे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370302 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापसंख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:213/2022/765(1)/35-4-2022/001-35-4099/32/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।